टिप्पणी

29

अनुचित कारोबारी व्यवहार

अक्षय एक छोटा व्यापारी है जो 'महक' नाम से एक शैंपू का निर्माण करता है। कम कीमत की अच्छी शैंपू होने की वजह से गांववाले उसको पसंद करते थे। 'खुशबू' ब्रांड की शैंपू कंपनी 'महक' शैंपू की वजह से अपना ग्राहक खो रही थी। 'खुशबू' शैंपू ने 'महक' शैंपू की तुलना में कम कीमत पर अपना शैंपू बेचना शुरू कर दिया। 'खुशबू' शैंपू के निर्माताओं के लिए यह अस्थायी हानि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं थी। कीमत में कमी की वजह से गांववाले खुशबू शैंपू खरीदने लगे। 'महक' शैंपू ने भारी नुकसान होने की डर से अपनी कीमत कम नहीं की। कुछ ही दिनों में खुशबू शैंपू ने महक शैंपू के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अक्षय को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। देखते-ही-देखते फिर थोड़े ही दिनों में 'खुशबू' शैंपू ने अपनी कीमत बढ़ा दी, लेकिन गांववालों के पास 'खुशबू' शैंपू खरीदने के अलावा दूसरा कोई राह या चारा नहीं था।

क्या आप सोचते हैं, यह सही था। नहीं, यह न तो अक्षय के लिए और न ही गांववालों के लिए हितकर था। अनुचित कारोबारी व्यवहार छोटे व्यवसाय कर्ताओं पर प्रभाव डालता है, जब निर्माण मूल्य से कम कीमत पर कीमत रखी जाती है।

प्रतियोगिता उचित, स्वस्थ और एक निर्दिष्ट दायरे तक ही सही है। अक्षय जैसे छोटे व्यवसायकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 उनमें से एक है।

मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न व्यवसायकर्ताओं के द्वारा अपनाए गए तरह-तरह के हथकंडे जैसे कि मुफ्त में दिये गये सामानों की कीमत मूल सामानों की कीमत में जोड़ लेना, छूट देकर धोखाधड़ी करना और मुनाफा कमाना आजकल आम बात हो गई है। लेकिन एक सजग उपभोक्ता ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट सही फोरम को देता है। आइए, देखें हममें से कितने लोग इस अनुचित कारोबारी व्यवहार के शिकार हैं।

अनुचित व्यापार व्यवहार से वे छोटे व्यापारी प्रभावित होते हैं जो लागत मूल्य से कम कीमत पर व्यापार करके बाजार में नहीं टिक सकते हैं।

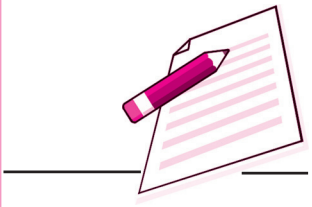

उद्देश्य

यह अध्याय को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि :

- अनुचित कारोबार किसे कहा जाता है;
- 'एकाधिकार' और 'प्रतिस्पर्द्धा' जैसे शब्दों के सही अर्थ एवं इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएगे;
- 'अनुचित कारोबार व्यवहार' के विरूद्ध में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में समझ पाएगें; एवं
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेगें।

29.1 अनुचित कारोबारी व्यवहार

किसी भी वस्तु के बेचने, उसका उपयोग या वितरण करने या किसी भी सेवा को प्रदान करने के लिए अगर कोई अनुचित तरीका अपनाया जाता है, उसे अनुचित कारोबार व्यापार कहा जाता है।

अनुचित कारोबारी व्यवहार निम्न भागों में बांटा गया है-

गलत (प्रस्तुतीकरण)

किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित विवरण तथा अभिवेदन, जो कि

गलत सुझाव देता है कि वस्तुएं एक विशेष मानक, परिमाण, स्तर, सम्मिश्रण ढंग की है;

गलत सुझाव देता है कि सेवाएं विशेष मानक, परिमाण और स्तर की हैं;

किसी भी पुराने, उपयोग किये गये, पुनर्निर्मित या मरम्मत की हुई वस्तु को नई की तरह प्रस्तुत करता है;

दावा करता है कि वस्तुएं या सेवाएं प्रायोजित, मान्यता-प्राप्त और संबधन प्राप्त है जो कि सत्य नहीं है;

यह दावा करता है कि विक्रेता या आपूर्तिकर्त्ता को प्रायोजक या मान्यता प्राप्त है जो कि सत्य नहीं है;

किसी वस्तु या सेवा से संबंधित आवश्यकता या उपयोगिता के बारे में गलत या भ्रामक दावा करता है;

लोगों के समक्ष इस तरह का भ्रामक दावा जो कि वस्तुओं या सेवाओं की गारंटी या वारंटी लगती हो;

वस्तुओं या सेवाओं की दक्षता, निष्पादन और जीवन-अवधि पर गारंटी या वारंटी देता है जो कि किसी समुचित या सही परिक्षण पर आधारित नहीं है;

गारंटी या वारंटी का वादा करते हुए भी उससे मुकर जाना।

सामान या सेवा के मूल्य के बारे में गलत मंतव्य देना।

सौदाकृत कीमत का झूठा ऑफर

अखबारों में जहां विज्ञापन प्रकाशित होता है या जहां सामान या सेवाएं सौदाकृत कीमत पर देने का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में वैसी कोई सौदाकृत कीमत उपलब्ध नहीं होती, वहां उसे अनुचित कारोबारी व्यवहार कहा जाता है। इस लक्ष्य के लिए सौदाकृत कीमत का अर्थ है-

विज्ञापन में मूल्य का इस तरह से उल्लेख करना जिससे यह प्रतीत हो कि यह सामान्य कीमत से कम है, या

जो भी व्यक्ति विज्ञापन देखे/पढ़े उसे लगे कि जिस कीमत का उल्लेख किया गया है बेची जाने वाली वस्तु की सामान्य कीमत से बेहतर है।

मुफ्त 'उपहार ऑफर' और ईनाम योजना

इस वर्ग में अनुचित कारोबारी व्यवहार इस प्रकार का है-

सामान के साथ उपहार, इनाम और अन्य सामग्री देना, जबकि नीयत कुछ और ही है; या

यह प्रभाव पैदा करना कि सामान के साथ कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन असल में जो सामान बेचा गया है, उसके मूल्य के साथ ही मुफ्त में दिए गए सामानों की कीमत भी ली गई है; या

ग्राहकों को कोई प्रतियोगिता, लॉटरी या खेल का आयोजन करके कुछ इनाम देना, जबकि मूल लक्ष्य अपने उत्पादों या कारोबार को बढ़ावा देना है।

निर्धारित मानकों का पालन न करना:

अगर कोई वस्तु या उत्पाद उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के उद्देश्य से यह जानते हुए बनाए गए हैं कि ये निर्धारित मानदंड जैसे निष्पादन, मिश्रण, अंत:वस्तु, अभिकल्प, निर्माण, तैयारी पर खरे न उतरते हों तो उसे 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' कहा जायेगा।

जमाखोरी, विध्वंस

बाजार में कीमत बढ़ाने के लिए अगर उपयोगी वस्तु को जमा, नष्ट और न बेचने के इरादे से छिपाकर रखते हैं तो वह 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' कहा जाता है।

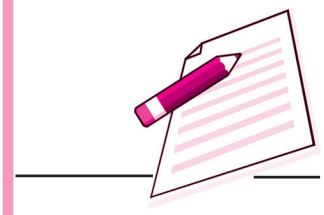

पाठगत प्रश्न 29.1

सही/गलत लिखें-

1. बाजार में कीमत बढ़ाने के लिए अगर उपयोगी वस्तु को जमा, नष्ट और न बेचने के इरादे से छिपाकर रखा जाए तो वह 'अनुचित कारोबार व्यवहार' कहा जाता है। (सही/गलत)

2. सामान के साथ उपहार, इनाम तथा अन्य सामग्री देना जबकि मूल नीयत कुछ और ही है, अनुचित कारोबार नहीं कहा जाता। (सही/गलत)

3. किसी भी प्रकार मौखिक तथा लिखित विवरण तथा अभिवेदन, जो गलत सुझाव देता है कि वस्तुएं निर्दिष्ट मानक, परिमाण, स्तर, सम्मिश्रण और ढंग की है, अनुचित कारोबारी व्यापार कहा जाता है। (सही/गलत)

4. किसी भी पुराने, पुनर्निमित या उपयोग की गई वस्तु को बेचना उपभोक्ता को स्वीकार्य है और यह अनुचित कारोबार व्यवहार नहीं कहा जाता। (सही/गलत)

एकाधिकार और प्रतिस्पर्द्धा

अगर एक ही व्यक्ति या संस्था एक वस्तु विशेष की पूर्ति करता है तो उसे 'एकाधिकार' कहा जाता है। एकाधिकार के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं रहती, जिस वजह से औद्योगिक उत्पाद और गुणवत्ता में कमियां पाई जाती है। एकाधिकार प्राप्त करना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी मूल्य में वृद्धि या अपने प्रतियोगी को प्रतिस्प्रर्द्धा से बाहर रखने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। अर्थशास्त्र की भाषा में एकाधिकार को एकमात्र विक्रेता कहा जाता है। कानून में एकाधिकार एक व्यापार इकाई है जिसके पास बाजार की महत्वपूर्ण शक्ति है अर्थात् उसके पास उच्च कीमत मांगने/लगाने की शक्ति है। यद्यपि एकाधिकार बड़े व्यापार हो सकते हैं, लेकिन कारोबार का आकार एकाधिकार का लक्षण नहीं है। एक छोटा व्यापार भी कीमतों को बढ़ाने की शक्ति रखता है।

बाजार में एक प्रभावी स्थान रखना या एकाधिकार अपने आप में अवैध नहीं है। हालांकि कुछ वर्गों में जहां प्रतिस्पर्द्धा नहीं है और प्रभावी कारोबार है, वहां यह अवैध होता है और सरकार इसके विरुद्ध ठोस कदम उठाती है। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में सरकार एकाधिकार को वैध मानती है, जहां जोखिम कारोबार करने को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को सरकारी प्रदत्त एकाधिकार माना जाता है। सरकार खुद इसको अपने कब्जे में भी संचालित कर सकती है।

? क्या आप जानते हैं

एकाधिकार अपने आप में अवैध नहीं है।

करिए और जानिए

अपने दादा-दादी से पूछकर ये जानिए कि बचपन में वे कौन-सी ब्रांड का बिस्कुट खाते थे। क्या आपको लगता है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प थे?

पाठगत प्रश्न 29.2

1. 'एकाधिकार' क्या है? उदाहरण सहित उल्लेख करें।
2. संजना ने केक बेचने का कारोबार शुरू किया। वरुण ने भी वही कारोबार शुरू किया, लेकिन उसने केक के उत्पाद मूल्य से बहुत कम मूल्य पर केक बेचना शुरू किया। अंत में संजना को अपना कारोबार बंद करना पड़ा और उसके सारे ग्राहक वरुण के पास चले गए। क्या आप इसे वरुण के द्वारा किया गया 'अनुचित कारोबारी व्यावहार' कहेंगे?
3. 'एकाधिकार व्यापार' पर कौन-सा अधिनियम रोक लगाता है?

29.3 अनुचित कारोबारी व्यवहार का निवारण

29.3.1 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, वह अधिनियम है, जो उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है और इस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता परिषद् तथा अन्य कई संस्थाओं का गठन किया है। इन संस्थाओं में उपभोक्ता विवाद तथा उससे संबंधित अन्य कई मामलों का निपटारा होता है।

हालांकि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, छोटे व्यवसायी आगे उल्लेख किये गये 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम' के द्वारा संरक्षित होते हैं।

29.3.2 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

भारत में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 लागू किया गाया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रतिस्पर्द्धा कानून का परम लक्ष्य है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा से यह सुनिश्चित होता है कि बाजार के प्रतियोगी उत्पादों की श्रेष्ठता को ढूंढते हैं (जिससे सेवाओं में गुणवत्ता और कम कीमत पर सामान उपलब्ध हों)। हालांकि पहले के भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून से भिन्न, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (जो साधारणत: एमआरटीपी अधिनियम के रूप में जाना जाता है) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, हर तरह के अनुचित कारोबारी व्यवहार पर लागू नहीं होता। इसीलिए जबकि ज्यादातर उपभोक्ता विवाद एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) के अंतर्गत आते, नया प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम सारे मामलों में लागू नहीं होता।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम मूलत: दो कार्य करता है। यह निषेध करता है–

1. **गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध**–गैर प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को रोकता है या उसे कम करता है। वे अनुबंध जो सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन्हें गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध कहा जाता है।
2. **प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग**–प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग वहां पैदा होता है जहां बाजार का कोई प्रभावी व्यवसाय प्रतिष्ठान ऐसा कार्य या व्यवहार करता है जिससे प्रतिस्पर्द्धा या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तथा नये प्रतिष्ठानों को उस प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने से वंचित कर देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि या तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है।

पाठगत प्रश्न 29.3

1. किन्हीं दो अधिनियमों का उल्लेख करें, जो 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के मामलों में निवारण करते है।
2. गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध क्या है?

29.4 भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार की वह संस्था (निकाय) है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करती है और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 14 अक्तूबर, 2003 में इसको गठित किया गया। मई, 2009 में यह पूरी तरह कार्य करने लगा।

भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग निम्न कार्यों का संपादन करता है–

- उपभोक्ताओं के हितों एवं उनकी भलाई के लिए कार्य करना।
- देश की आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिए आर्थिक कार्यकलापों में स्वस्थ और उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों के सबसे कारगर उपयोग के लिए प्रतिस्पर्द्धा नीतियों का कार्यान्वयन करना।
- क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंध विकसित और पोषित करना जिससे क्षेत्रीय विनामक कानूनों का प्रतिस्पर्द्धा कानून के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके।
- विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार में संपर्क स्थापन करके प्रतिस्पर्द्धा नियम को लागू कराने के साथ-साथ भारत की अर्थनीति में प्रतिस्पर्द्धा परिवेश का निर्माण करना और भारतीय अर्थनीति को बढ़ावा देना।

पाठगत प्रश्न 29.4

1. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 लागू करने का दायित्व किसका है?
2. भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें।

क्या आप जानते है

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) को निरस्त करता है।

आपने क्या सीखा

- **अनुचित कारोबार व्यवहार** निम्न भागों में विभाजित है–गलत अभिवेदन, सौदाकृत कीमत का झूठा ऑफर, निर्धाति मानक का अपालन, मुफ्त उपहार ऑफर या इनाम योजना, जमाखोरी, विध्वंस आदि।
- **गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध** बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का निवारण करता है। यह सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- **प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग** वहां होता है, जहां बाजार का कोई प्रभावी व्यवसाय या प्रतिष्ठान ऐसा व्यवहार करता है जिससे प्रतिस्पर्द्धा या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तथा यह नए प्रतिष्ठानों को उस प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने से वंचित कर देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि या तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है।
- **भारत का प्रतिस्पर्द्धा आयोग** भारत सरकार का वह संस्था है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है और भारत में उन कार्यकलापों को रोकती है, जिनसे प्रतिस्पर्द्धाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 14 अक्तूबर, 2008 में इसको गठित किया गया। मई, 2009 में यह पूरी तरह कार्य करने लगा।

पाठांत प्रश्न

1. एमआरटीपी अधिनियम (MRTP Act) का पूरा नाम क्या है?
2. क्या यह सही है कि 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' सरकार का एक निकाय है?
3. 'अनुचित कारोबार व्यवहार' को परिभाषित करें।
4. 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम' ने कब से पूरी तरह कार्य करना आरम्भ किया?
5. 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' के मुख्य कार्यों का वर्णन करें।

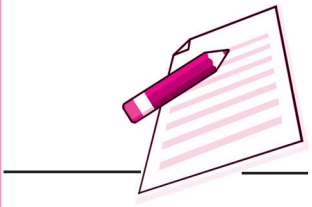

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

29.1

1. सही
2. गलत
3. सही
4. गलत

29.2

1. अगर एक निर्दिष्ट व्यक्ति या या कारोबारी संस्था ही एक वस्तु या उत्पादन विशेष की पूर्ति करता/करती है तो उसे 'एकाधिकार' कहा जाता है।
2. हां, यह एक अनुचित कारोबार व्यवहार है।
3. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

29.3

1. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
2. वे अनुबंध जो सामानों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण, अर्जन तथा नियंत्रण और सेवाओं की सुविधा तथा भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वे गैर-प्रतिस्पर्द्धा अनुबंध हैं।

29.4

1. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग
2. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के दो मुख्य कार्य-

   (क) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं भलाई का कार्य करना।

   (ख) आर्थिक गतिविधियों में उचित एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना जिससे देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र एवं समावेशी विकास हो सके। विकास के लिए देश में उचित तथा लाभकर प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना।

कार्यकलाप

बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के कारण और उनकी प्रतिक्रिया जानें। कठिनाइयों का सामना करने वाले दुकानदारों से बातचीत करें।